न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 01/2018

बउनवान

परसराम पुत्र रामकरण उम्र–59 वर्ष जाति–मीणा निवासी–कोटड़ी तुलसां तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री मदन मोहन नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 31.03.2021

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 18.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–कोटड़ी तुलसां, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1057 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म सिवायचक पर अतिक्रमी मानकर 400/–रूपये की शास्ति एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली में विद्यमान तथ्यों एंव दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चात्वर्ती अतिक्रमी घोषित करने से पूर्व, पूर्व में प्रार्थी को कब बेदखल किया का कोई प्रमाण पत्रावली में मौजूद नहीं है। तथा अतिक्रमित बताई गई आराजी की कभी पैमाइश भी नहीं की गई है, ना ही स्वतंत्र गवाहान प्रस्तुत किये गये हैं। इसलिये अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व्यवहार प्रकिया के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। निर्णय परफोर्मा पर आधारित है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नही है। वर्तमान में उक्त भूमि खाली पडी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:51 IST
Reason: SelfAttested

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब कराया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील प्रोपर नहीं करायी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं दिया है एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। निर्णय परफोर्मा पर है जिसे विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नही है, भूमि पडत पडी हुई है। तथा भूमि पर कब्जा न होने बाबत पटवारी हल्का की रिपोर्ट संलग्न अपील है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 224/12 निर्णय दिनांक 31.12.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी सिवायचक है जिस पर अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर मिसल नम्बर 224/12 निर्णय दिनांक 31.12.2012 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 615/14 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:51 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर, बारां
बारां (राज०)